न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई प्रथम, आर.ए.एस.

2021-179 RAAJodhpur2021-61 RTA223 Gordhanram ors Vs Prahaladram etc

1. गोरधनराम पुत्र देरामराम
2. गोगी देवी पत्नी भूराराम
3. भंवराराम पुत्र भूराराम
4. ओमाराम पुत्र भूराराम
5. परसराम पुत्र भूराराम
6. बाबूराम पुत्र भूराराम
7. खुमाराम पुत्र भूराराम
8. केहराराम पुत्र मोतीराम
9. उरजाराम पुत्र मोतीराम
10. बाया पुत्री मोतीराम
11. खेताराम पुत्र बगताराम
12. प्रभुराम पुत्र जोगाराम
13. सारकी देवी पत्नी बोराराम
14. भाकरराम पुत्र बोराराम
15. बनाराम पुत्र रूपाराम
16. प्रकाश पुत्र रूपाराम
17. मैना पुत्री रूपाराम, नाबालिग जरिये कुदरती वली माता लहरी देवी,
    सभी जातियान् जाट, निवासीगण– मेहलावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

—— अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. प्रहलादराम पुत्र रावतराम
2. बोराराम पुत्र भारमलराम
3. नेमाराम पुत्र सोनाराम के कायम मुकामः–
   3.1. नोजी पत्नी नेमाराम
   3.2. भंवरलाल पुत्र नेमाराम
   3.3. करनाराम पुत्र नेमाराम
   3.4. पुरखाराम पुत्र नेमाराम
   3.5. केराराम पुत्र नेमाराम
   3.6. मीरा पुत्री नेमाराम
4. खेताराम पुत्र सोनाराम
5. रूगनाथराम पुत्र सोनाराम
6. रूकमा देवी पत्नी पदमाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी जातियान् जाट, निवासीगण– मेहलावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।
8. सरपंच, नरेगा कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत कालीजाल, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

—— रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर लूणी द्वारा दिनांक 05 मार्च 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 120/2015 प्रहलादराम व अन्य बनाम गोरधनराम इत्यादि

—— 0 ——

उपस्थित –
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री हुकमाराम प्रजापत, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1, 3/2 से 3/5
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 7
शेष **रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।**

नि र्ण य

दिनांक : 30 सितंबर 2024

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 120/2015 अनवान प्रहलादराम व अन्य बनाम गोरधनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मार्च 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 16 जून 2021 को पेश की गयी है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत एक वाद बाबत बेदखली का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 146/1, रकबा 10.04 बीघा, खसरा नं. 146 रकबा 17.11 बीघा, खसरा नं. 145 रकबा 28.15 बीघा, खसरा नं. 144/2 रकबा 08.17 बीघा, वाके मौजा मेहलावास, तहसील लूणी के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके उपरोक्त खसरान् की भूमि की पूर्व दिशा में अपीलांट्स की भूमि खसरा नं. 156 स्थित है, जिन्होंने वादीगण की 10 से 15 फीट भूमि पर कब्जा कर लिया है। वादीगण ने जिन्हे बेदखल किये जाने की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 मार्च 2021 के जरिये अतिक्रमित भाग पर पत्थरगढी किये जाने का निर्णय पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स खसरा नं. 156 के खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के नोटिस तामील करवाये बिना ही तथा तामील पूर्ण करवाये बिना उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किये बिना तथा उन्हें जवाब, साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित पारित की है। दौराने वाद अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें अपीलार्थीगण के खेत का माप किये बिना ही तथा रोड़ का माप किये बिना ही मात्र प्रत्यर्थीगण के खसरों को मापते हुए रिर्पोट तैयार की गई है जो रिपोर्ट साक्ष्य को एकत्रित करने हेतु तैयार की गई होने के कारण वाद में पढे जाने नहीं रह जाती है। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण वाद को साबित ही नहीं कर पाये है

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तथा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से अपीलार्थीगण का अतिक्रमण साबित नहीं होता है, क्योंकि अपीलार्थीगण के खेत का माप ही नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं बिना किसी ठोस साक्ष्य के आधार पर पारित किये जाने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का सम्यक अवसर प्रदान किये बिना आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। दिनांक 17.06.2021 को प्रत्यर्थीगण द्वारा मौके पर आकर अपीलांट्स को धमकी दी गई कि उनके द्वारा बेदखली का आदेश प्राप्त कर लिया गया है। अब बेदखल कर दिया जायेगा, जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 18.06.2021 को नकल हेतु आवेदन करवाया जो नकल तैयार होकर प्राप्त होने पर उसे प्रथम बार पढने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05 मार्च 2021 को अपास्त व निरस्त किया जावे

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण भूमि खसरा नं. 146/1, 146, 145, 144/2 के खातेदार काश्तकार है। अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 156 प्रत्यर्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि के सहारे–सहारे अवस्थित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स ने जबरदस्ती से रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि के उतर दिशा में 11 गट्ठा तथा दक्षिण दिशा में 13 गट्ठा भाग को अतिक्रमित कर दिया है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट दिनांक 04.05.2016 से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किये जाने तथा पत्थरगढी किये जाने का विधिसम्मत आदेश पारित किया हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा के विरोध में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स पर तामील हेतु रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन भिजवाये गये। अपीलांट्स पर सम्मनों की तामील होने के वावजूद वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स खसरा नं. 156 के खातेदार–काश्तकार तथा रेस्पोडेंट्स खसरा नं.146/1, 146, 145, 144/2 के खातेदार–काश्तकार दर्ज है। उक्त खसरान् की भूमियॉ राजस्व रेकर्ड में स्वतंत्र सीमाओं से आबद्ध होकर पृथक–पृथक तरमीम दर्ज है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद में अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाया जाना नहीं पाया जाता है तथा न ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट्स की सम्मन पावति उपलब्ध हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील होने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना भी नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानों अनुसार अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें जवाब, साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है।

प्रकरण के गुणावगुण के परिप्रेक्ष्य में मौका फर्द दिनांक 04.05.2016 के अवलोकन मुताबिक उक्त रिपोर्ट अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जिसमें मुस्तकिल बिंदु संख्या 23 को आधार मानकर अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के समस्त खातेदारी खसरान् की पैमाईश न कर केवल वादीगण/रेस्पो. के खातेदारी खसरान् की पैमाईश की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा अपीलांट्स के मौका रिपोर्ट एकपक्षीय होने के उज्र से सहमत है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय वाद विचारण प्रक्रिया के तहत अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना, जवाब प्रस्तुति, वाद एवं जवाब के आधार पर तनकीयात कायमी, साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 120/2015 अनवान प्रहलादराम व अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बनाम गोरधनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मार्च 2021 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान कर वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/24

(ओमप्रकाश विश्नोई–प्रथम)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर